

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी,
जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांक:- ग्रे०नो०/आई.टी/2020/17627

दिनांक:- 28/02 / 2020

कार्यालय-आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 10.02.2020 के अनुपूरक मद संख्या:-117/6 में मा० संचालक मण्डल द्वारा बी०पी०ओ०/कॉल सेन्टर योजनान्तर्गत आवंटनों में समर्पण (Surrender) उपरान्त भूखण्ड के विरुद्ध प्रीमियम के मद में जमा धनराशि में से कटौती करते हुए रिफण्ड किये जाने हेतु निम्नानुसार नियम/शर्त प्राविधानित किये गये हैं:-

Surrender

The allottee can surrender the plot before cancellation to the lessor/CEO of the Authority as per following terms:-

- Upto 30 days from the date of issuance of reservation letter, 50% of registration money shall be deducted.
- Beyond 30 days but before execution of lease deed 10% of the total premium or the amount deposited upto the date of surrender, whichever is less, shall be forfeited.
- No surrender shall be entertained after the execution of Lease Deed.

Note; The date of Surrender in above case shall be the date on which application is recieved at the authority's office. No subsequent claim on the basis of postal certificate will be entertained.

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त यदि आवंटी को आवंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा चैकलिस्ट जारी की जा चुकी है, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित नहीं कराया गया है तो निम्न प्राविधानों अनुसार भी आवंटी द्वारा जमा धनराशि में से कटौती किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1. If the Check list is Issued for the purpose of Registration, But the Allottee has not Registered the plot before the cancellation is done, Late Lease Penalty shall be deducted till the date of cancellation of Plot.

अतः बी०पी०ओ०/कॉल सेन्टर योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्डों के आवंटनों में यदि आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को समर्पण (Surrender) किया जाता है तो उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार आवंटी द्वारा जमा धनराशि में से कटौती करते हुए अवशेष धनराशि को रिफण्ड किया जायेगा।

उक्त प्रभाव तत्काल प्रभावी होंगे।

(दीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना/आई०टी०) को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी (नियोजन), ग्रेटर नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के आशय से प्रेषित।

20/02/2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी